

फर्द अहकाम


गोकुल देवी बनाम गोपाल कश्यप

नाम न्यायालय

केस संख्या 23/2011

पृ. 1

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	22/11/19	<p>वकीलों द्वारा आज्ञा कार्यवाही/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गूट आह्वानुसार दिनांक 13/12/19 को पेश हो।</p>	
13/12/19		<p>पत्रावली पेशा हुई। व.फ. उपो। श्यामजी ए. 1 व 2, 6 की ओर से कोर्ट की उपो. नयी की इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रव में लायी जाती है, वकील प्रार्थना व अपाधी सं. 7 ता 10 की कक्षा सुनी गई। उभयपक्षों द्वारा विकसाल आराजीघार की वाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मैट्रिक की यथास्थिति रखाये रखने हेतु अहमते जाहिर की तथा विस्तृत नाम पत्र, कक्षा व विस्तृत कनेक्शन में छूट देने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का आद लेखन किया। अग्रवद तकासने काटें जो प्राथमिक फिली किया जा चुका है वाद आदुलवा को रोक जाने हेतु विकसाल आराजीघार की मैट्रिक व रिकार्ड की यथास्थिति रखाये वाद के निस्तारण तक रखाये रखना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>आज्ञा: विकसाल आराजीघार में विस्तृत व मैट्रिक कक्षा एवं कनेक्शन की छूट देते हुए, उभय पक्षों को मुल वाद के निस्तारण तक विकसाल आराजीघार की रिकार्ड व मैट्रिक की यथास्थिति रखाये रखने हेतु जाहिर आह्वान विधेधोसा से पारबंद किया जा ली पत्रावली के लक्ष्य सुनी गयी। उक्त नम्बर अग्रवद तथा अग्रवद के साथ रहे।</p>	


 सहायक क्लर्क
 चौधू (जयपुर)

